

9416/24 प्रदीप कुमार 510 प्रीतम सिंह 695



बैनामा / विक्रय विलेख पत्र

किस्म दस्तावेज	—	बैनामा
भूमि का प्रकार	—	कृषि भूमि
मौजा / ग्राम	—	मौजा— ककुआ, तहसील व जिला आगरा
सम्पत्ति का विवरण	—	कृषि भूमि खाता सं० 00225 (1427-1432 फसली) खसरा सं० 695 मि० क्षेत्रफल 0.7850 हेक्टेयर में से 0.2546 हे० राष्ट्रीय राजमार्ग में अधिकृत करने के बाद शेष रकवा 0.5304 हे० का 1/7 भाग यानि रकवा 0.0757714 हेक्टेयर
यूनिक कोड	—	1246210069500012
मापन की इकाई	—	हेक्टेयर
विक्रीत क्षेत्रफल	—	0.0757714 हेक्टेयर

हस्ताक्षर



P.K. Shukla



00005



20000
20

यह स्टाम्प धनराशि रु० 445800
नं० 1 में शामिल है।

MUKESH KUMAR
CASHIER
Treasury, AGRA

880058-0





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 683089

-2-

पेड़ों का मूल्यांकन	—	पेड़ है। जिनकी सामाजिक वानिकी प्रभाग द्वारा निर्धारित मूल्यांकन के अनुसार कीमत 3,142/- रुपया है।
कुंआ, बोरिंग व अन्य—		नहीं है।
सड़क की स्थिति	—	राष्ट्रीय राजमार्ग के सहारे स्थित कृषि भूमि
सरकारी मालियत	—	15,91,200/- रुपया
प्रतिफल की धनराशि—		63,67,942/- रुपया (63,64,800+ 3142)/-रुपये
सर्किल रेट	—	210,00,000/- रुपया प्रति हेक्टेयर जो उपनिबन्धक चतुर्थ सदर आगरा की दर सूची के पृष्ठ संख्या 47 क्रम सं0 245 पर अंकित है।
स्टाम्प	—	4,45,800/- रुपये

हस्ताक्षर 21/11/24

P.K. Shukla



20000
19

यह स्वाम्य धनराशि रु० 445000
नं० 1 में शामिल है।

MUKESH KUMAR
CASHIER
Treasury, AGRA



भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु. 20000

बीस हजार रुपये

TWENTY
THOUSAND RUPEES

Rs. 20000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

533090

C 683090

-3-

अन्य विवरण - विक्रीत आराजी की 200 मीटर की परिधि में कृषि हो रही है। विक्रीत आराजी राष्ट्रीय राजमार्ग के सहारे स्थित कृषि भूमि है। आबादी के सहारे स्थित नहीं है। विक्रीत आराजी धारा 80 के अन्तर्गत आबादी घोषित नहीं हुई है तथा विक्रेता व क्रेता दोनों ही अनुसूचित जाति व जनजाति के सदस्य नहीं हैं।

प्रदीप कुमार उर्फ प्रदीप कुमार सिंह रावत पुत्र श्री प्रीतम सिंह रावत निवासी- ककुआ, तहसील व जिला आगरा मो0नं0 9457250075 पैन नं. AICPR5443G

.....प्रथम पक्ष / विक्रेता

एवं

आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा जो उत्तर प्रदेश शहरी एवं विकास अधिनियम 1973 के प्रावधानों के तहत गठित एक निगमित निकाय है, जिसका पंजीकृत कार्यालय रतन मुनि रोड, जयपुर हाउस कालोनी आगरा (उत्तर प्रदेश) पर स्थित है द्वारा पंकज कुमार शुक्ला, (अवर अभियंता) जिन्हें उपाध्यक्ष के आदेश दिनांक 28.09.2024 द्वारा विधिवत अधिकृत किया गया है। मो0 नं0 9458626266 पैन नं. AAALA0081F

.....द्वितीय पक्ष / क्रेता

प्रदीप रावत

P.K. Shukla

56371



20000
18

यह स्टाम्प धनराशि रु० 445000
नं० 1 में शामिल है।

MUKESH KUMAR
CASHIER
Treasury, AGRA





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 683091

C 683091

-4-

प्रलेख -

विदित हो कि विक्रेता प्रथम पक्ष एक किता आराजी बाकें मौजा ककुआ तहसील व जिला-आगरा के खाता सं० 00225 (1427-1432 फसली) खसरा सं० 695 मि० क्षेत्रफल 0.7850 हेक्टेयर में से 0.2546 हे० राष्ट्रीय राजमार्ग में अधिकृत करने के बाद शेष रकवा 0.5304 हे० का 1/7 भाग यानि, रकवा 0.0757714 हेक्टेयर लगानी 60ख अनुसार सन् फसली 1427-1432 फसली का संक्रमणीय भूमिधर मालिक काबिज व दखील दर्ज खातेदार चला आता है। जिसमें सिवाय प्रथम पक्ष के अन्य कोई दीगर व्यक्ति हकदार व हिस्सेदार किसी प्रकार का नहीं है। उक्त आराजी आज की तारीख तक हर प्रकार के ऋण, विक्रय, दान, जमानत, सौदे, दावे, झगड़े, इक्यूटेविल मोरगोज व हर प्रकार की देनदारियों, जिम्मेदारियों आदि से पाक व साफ है।

पुनीष 21-27

RE. Thakur



00000



20000

17

यह स्टाम्प घनराशि क्र० 445800
नं० 1 में शामिल है।

M. FRESH KUMAR
ASHIER
T. Sary, AGRA





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

15 OCT 2024

C 683092

C 683092

-5-

विक्रीत आराजी नजूल या राजकीय आस्थान या ग्राम सभा की सम्पत्ति नहीं है और न ही राज्य सरकार द्वारा किसी योजना में अधिग्रहित है और न कोई मुआवजा प्रथम पक्ष या अन्य ने प्राप्त किया है। विक्रीत आराजी कृषि भूमि है और विक्रीत आराजी को उ०प्र० राजस्व संहिता 2006, की धारा 80 के अन्तर्गत आबादी घोषित नहीं किया गया है और न ही किसी प्रकार की कोई कार्यवाही की है। यह कि द्वितीय पक्ष क्रेता टाउनशिप विकसित करने हेतु उक्त कृषि भूमि को क्रय करने का इच्छुक है जिसको क्रय करने के लिए द्वितीय पक्ष द्वारा सरकारी मालियत की चार गुना धनराशि प्रथम पक्ष को अदा कर रहा है। अतः प्रथम पक्ष अपनी सम्पूर्ण आराजी को द्वितीय पक्ष को विक्रय करने हेतु सहमत है। जिसमें विक्रेता का पूरा-पूरा लाभ है।

प्रतिप 21/10/24

RK Sharma



00000



20000

16

यह स्टांप धनराशि रु. 445000
नं० 1 में शामिल है।

MUKESH KUMAR
CASHIER
Treasury, AGRA





C 683093

C 683093

-6-

लिहाजा विक्रेता प्रथम पक्ष ने अपनी राजी व खुशी से खूब सोच व समझकर बिना बहकाये व सिखाये व बिना दबाव किसी नाजायज के इन्द्रियों की ठीक दशा में उक्त वर्णित आराजी का विक्रय 63,67,942/- रुपया में आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा पंजीकृत कार्यालय रतन मुनि रोड, जयपुर हाउस कालोनी, आगरा (उत्तर प्रदेश) द्वारा श्री पंकज कुमार शुक्ला, (अवर अभियंता) क्रेता द्वितीय पक्ष के हक में पूर्ण अधिपत्य व स्वामित्व व गुड टायटिल सहित वैय कतई किया और बेच दिया। प्रथम पक्ष ने कीमत का कुल रुपया मु0 63,67,942/- रुपया इस प्रकार प्राप्त किया कि-

हस्ताक्षर 24-10-74

P.K. Shukla



5000



20000
15

यह रद्दाग्य धनराशि रु० 445000
नं० 1 में शामिल है।

MUKESH KUMAR
CASHIER
Treasury, AGRA





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 583094

C 683094

-7-

क्र.सं.	धनराशि	चैक / डी0डी0 RTGS/UPI सं0	दिनांक	बैंक का नाम
1.	63,67,942 / -	003413	16-10-24	बैंक ऑफ इंडिया
कुल	63,67,942 / -			

(नोट- विक्रीत आराजी कृषि भूमि होने के कारण इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 194(एल.ए) के तहत टी0डी0एस0 काटने की आवश्यकता नहीं है।)

इस प्रकार प्रथम पक्ष विक्रेता ने द्वितीय पक्ष क्रेता से कीमत की पूर्ण धनराशि प्राप्त कर ली है। जिसको प्रथम पक्ष गवाहों के समक्ष प्राप्त होना स्वीकार करता है। अब उपरोक्त कृषि भूमि की कीमत के सन्दर्भ में प्रथम पक्ष विक्रेता का द्वितीय पक्ष क्रेता से कुछ लेना व पाना शेष नहीं रहा है और न भविष्य में होगा।

प्रतीप 21/10/24

R.K. Singh



00000



20000

14

यह स्टाम्प बनारासि रु० 445800
नं० 1 में शामिल है।

MUKESH KUMAR
CASHIER
Treasury, AGRA





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 683095

C 683095

-8-

अतः कब्जा व दखल विक्रीत कृषि भूमि पर विक्रेता प्रथम पक्ष ने क्रेता द्वितीय पक्ष का करा दिया और द्वितीय पक्ष को विक्रीत कृषि भूमि का पूर्णतः मालिक व स्वामी बना दिया। अब आज की तारीख से उपरोक्त खसरा नम्बरों की कृषि भूमि में प्रथम पक्ष व उनके उत्तराधिकारियों का कोई हिस्सा व स्वामित्व किसी प्रकार का शेष नहीं रहा और न भविष्य में होगा तथा क्रेता द्वितीय पक्ष को अधिकार है कि वह विक्रीत कृषि भूमि से चाहे जिस प्रकार लाभ उठावे, विक्रय करे, कृषि कार्य करे चाहे जैसे अपने प्रयोग में लावे, किसी भी ऋणदायी संस्था से ऋण प्राप्त करे अथवा जिस प्रकार चाहे क्रय की गई भूमि का उपयोग करे। इसमें प्रथम पक्ष व उसके उत्तराधिकारियों को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है और न भविष्य में होगी। क्रेता द्वितीय पक्ष उपरोक्त बैनामा के आधार पर राजस्व अभिलेखों में अपने नाम का नामांतरण कराये प्रथम पक्ष विक्रेता अपनी पूर्ण सहमति प्रदान करता है। विक्रीत कृषि भूमि से सम्बन्धित खसरा व खतौनी संलग्न हैं।

हरीप २१/१०



R. K. Singh





20000

13

यह स्टाम्प घनराशि रु० 445800
नं० 1 में शामिल है।

MUNESH KUMAR
CASHIER
Treasury, AGRA





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 683096

C 683096

-9-



यह कि अगर भविष्य में कोई कॉमी या खानदानी या कोई वारिस या कोई दीगर व्यक्ति या कोई दीगर किफालतदार पैदा होकर दावा व झगड़ा क्रेता द्वितीय पक्ष से करे या जिसकी वजह से किसी को कोई रकम अदा करने पड़े या खर्चा करने पड़े या क्रेता के हक व अधिकार से उक्त आराजी का कुल जुज व कब्जा व दखल निकल जावे, तो ऐसी उन कुल तमाम सूरतों में उस कुल की जबाबदेही व जिम्मेदारी व अदायगी प्रथम पक्ष व वारिसान प्रथम पक्ष की होगी जिसमें प्रथम पक्ष व वारिसान प्रथम पक्ष को कोई उज्र व एतराज व आपत्ति नहीं होगी। विक्रेता प्रथम पक्ष यह घोषणा करता है एवं वचन देता है कि उसके द्वारा विक्रय प्रतिफल धन से पूर्ण संतुष्ट होकर यह विक्रय विलेख निष्पादित किया गया है और इस

हस्ताक्षर 21/10/14

1/10/14



00000



20000
12

यह स्टाम्प धनराशि रु. 445800
नं० 1 में शामिल है।

MUKESH KUMAR
CASHIER
Treasury, AGRA





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 683097

C 683097

-10-

सम्बन्ध में अथवा विक्रय प्रतिफल धनराशि को बढ़वाने के सम्बन्ध में किसी भी न्यायालय अथवा ट्रिब्यूनल आदि में कोई भी वाद अथवा कानूनी कार्यवाही नहीं करेगा तथा यदि विक्रीत भूमि की वास्तविक पैमाइश के समय भूमि मौके पर कम पायी जाती है तो वह आनुपातिक रूप से कम भूमि का मूल्य मय व्याज 12 प्रतिशत सालाना की दर से क्रेता द्वितीय पक्ष आगरा विकास प्राधिकरण आगरा को वापस कर देगा। ऐसा नहीं करने पर क्रेता द्वितीय पक्ष विधिक प्रक्रिया के तहत उसे मय व्याज व हर्जे, खर्चे के विक्रेता प्रथम पक्ष व उसके वारिसानों से वसूल करने का अधिकारी होगा।

21/10/16

P. K. Singh





20000

11

यह स्टाम्प धनराशि रु० 445000
नं० 1 में शामिल है।

MUKESH KUMAR
CASHIER
Treasury, AGRA





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 683098

C 683098

-11-

यह कि विक्रय प्रतिफल धनराशि पर यदि कोई इनकम टैक्स देय होगा अथवा विक्रीत भूमि पर यदि कोई अन्य टैक्स अथवा वैधानिक देयता पायी जाती है तो उसे अदा करने की जिम्मेदारी विक्रेता प्रथम पक्ष की होगी। महानिरीक्षक निबन्धन उ०प्र० के आदेशानुसार भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 27(1) के अनुसार लेखपत्र में वे सभी तथ्य और परिस्थितियाँ जो स्टाम्प देयता को प्रभावित कर सकती हैं, पूर्णतया सत्यता पूर्वक अंकित कर दिये गये हैं। उक्त बैनामा का खर्चा व स्टाम्प शुल्क द्वितीय पक्ष क्रेता द्वारा अदा किया गया है।

20/11/2016

P.K. Singh



00000



20000

10

यह स्वाम्यधनराशि रु. 445000
नं० 1 में शामिल है।

MUNESH KUMAR
CASHIER
Treasury, AGRA





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

15 OCT 2024

C 683099

C 683099

-12-

स्टाम्प बैनामा के साथ संलग्न है।

इस पर 21/10/24

P. K. Shukla





20000
9

यह स्टाम्प धनराशि रु० 445800
नं० 1 में शामिल है।

MUKESH KUMAR
CASHIER
Treasury, AGRA





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 683100

C 683100

-13-

स्टाम्प बैनामा के साथ संलग्न है।

दीप शर्मा



R.K. Shukla



00005



20000

0

यह स्ट्याम्प घनराशि रसो 445800
नं० 1 में शामिल है।

MUKESH KUMAR
CASHIER
Treasury, AGRA

00000000





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 683101

C 683101

-14-

स्टाम्प बैनामा के साथ संलग्न है।

27/11/2024

P. K. Singh



00005



20000
7

यह स्टाम्प धनराशि नं० 445000
नं० 1 में शामिल है।

MUKESH KUMAR
CASHIER
Treasury, AGRA

10/05/20





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 683102

C 683102

-15-

स्टाम्प बैनामा के साथ संलग्न है।

24/10/2024



P. K. Kulkarni



20000



20000
6

यह स्थाय्य धनराशि रु० 445800
नं० 1 में शामिल है।

MUKESH KUMAR
CASHIER
Treasury, AGRA





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 683103

C 683103

-16-

स्टाम्प बैनामा के साथ संलग्न है।

20/10/24

P.K. Sharma



00000



20000

5

यह स्टाम्प घनराशि रु. 445800
नं० 1 में शामिल है।

MUKESH KUMAR
CASHIER
Treasury, AGRA

000000





C 683104

C 683104

-17-

स्टाम्प बैनामा के साथ संलग्न है।

21/01/2021

P.K. Shukla





20000
4

यह स्थाय्य धनराशि रु० 445800
नं० 1 में शामिल है।

MUKESH KUMAR
CASHIER
Treasury, AGRA





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 683105

C 683105

-18-

स्टाम्प बैनामा के साथ संलग्न है।

5 Aug 2011

P. K. Singh



3

यह स्वयम्प वनराशि ल० 445000
नं० 1 में शामिल है!

MUKESH KUMAR
CASHIER
Treasury, AGRA



भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु. 20000

बीस हजार रुपये

भारत

TWENTY
THOUSAND RUPEES

Rs. 20000

INDIA



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 683105

C 683106

-19-

स्टाम्प बैनामा के साथ संलग्न है।

प्रति 20/11/2019



B. K. Singh





$\frac{20000}{2}$

यह स्टाम्प धनराशि रु. 445000
नं० 1 में शामिल है।

MUKESH KUMAR
CASHIER
Treasury, AGRA



भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु. 20000

बीस हजार रुपये



TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs. 20000



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 683107

C 683107

-20-

स्टाम्प बैनामा के साथ संलग्न है।

21/11/2021



P.K. Singh



7

00000

आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा



20000
1

ग्रह स्वयंसेवक धनराशि रु. 445800
नं० 1 में शामिल है।

445800 -

MUKESH KUMAR
CASHIER
Treasury, AGRA





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 007400

A 007400

-21-

स्टाम्प बैनामा के साथ संलग्न है।

प्रति 21/11/18



M. K. Singh



00001



15000
21

यह स्टम्प धनराशि रु0 445000
नं0 1 मे शामिल है।

MUKESH KUMAR
CASHIER
Treasury, AGRA

001500 A



भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.
15000

पन्द्रह हजार रुपये



FIFTEEN
THOUSAND RUPEES

Rs.
15000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 007399

A 007399

-22-

स्टाम्प बैनामा के साथ संलग्न है।

21/11/21

P. S. S. S. S.



00001



15000
22

यह रद्दाम्य घनराशि रु० 445800
नं० 1 में शामिल है।

MUKESH KUMAR
CASHIER
Treasury, AGRA





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 007398

-23-

स्टाम्प बैनामा के साथ संलग्न है।

हस्ताक्षर

P.K. Singh



00021



15000
23

यह स्टाम्प प्रन्ताशि स्लॉ 445800
नं० 1 में शामिल है।

MUKESH KUMAR
CASHIER
Treasury, AGRA





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AK 976084

-24-

स्टाम्प बैनामा के साथ संलग्न है।

डी. २०५४



P. K. Kulkarni



12



500
24

यह स्टान्ध धनराशि रु० 445800
नं० 1 में शामिल है।

MUKESH KUMAR
CASHIER
Treasury, AGRA





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

GM 285548

-25-

स्टाम्प बैनामा के साथ संलग्न है।

21/05/2025



P. K. Singh



130
27 आवेदन सं०: 202400766065226

सह स्टाम्प घनराशि रु० 445800
नं० 1 में शामिल है।

विक्रय पत्र

वही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 9416

वर्ष: 2024

प्रतिफल- 6367942 स्टाम्प शुल्क - 445800 बाजारी मूल्य - 6367942 पंजीकरण शुल्क - 63680 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 140 योग : 63820

श्री आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा द्वारा
पंकज कुमार शुक्ला अधिकृत पदाधिकारी: प्रतिनिधि,
अवर अभियंता
व्यवसाय : अन्य
निवासी: आगरा

P. K. Shukla



श्री, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा द्वारा

पंकज कुमार शुक्ला अधिकृत
पदाधिकारी: प्रतिनिधि

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 17/10/2024
एवं 02:52:43 PM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

प्र० ब्रह्म प्रकाश
उप निबंधक : सदर चतुर्थ
आगरा
17/10/2024

०००
निबंधक लिपिक
17/10/2024





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

GM 285549

-26-

अतः यह विक्रय पत्र हम दोनों पक्षों ने आज दिनांक 17.10.2024 को इसके प्रारूप से सन्तुष्ट होकर नीचे लिखे अपने परिचित साक्षियों के समक्ष अपने-अपने हस्ताक्षर व निशानात अंगूठों के द्वारा निष्पादित किया तथा साक्षियों ने भी पक्षों के कहने पर इसी समय तथा उन्हीं के समक्ष अपनी गवाही दी इस विक्रय पत्र का प्रारूप पक्षों के दिये

27/10/2024



P.K. Shukla



बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 9416

वर्ष: 2024

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त
विक्रेता: 1

श्री प्रदीप कुमार उर्फ प्रदीप कुमार सिंह रावत, पुत्र श्री प्रीतम
सिंह रावत

निवासी: ककुआ, तहसील, जिला आगरा

व्यवसाय: अन्य

क्रेता: 1



श्री आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा के द्वारा पंकज कुमार

शुक्ला, अवर अभियंता

निवासी: आगरा

व्यवसाय: अन्य



ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान
पहचानकर्ता: 1

श्री विनोद कुमार, पुत्र श्री रघुवीर सिंह

निवासी: 8/153 ई-10 न्यू लॉपर्स कालोनी, आगरा।

व्यवसाय: अन्य

पहचानकर्ता: 2



श्री रवि बघेल, पुत्र श्री नन्द किशोर

निवासी: 17/166 टीला माईधान, आगरा

व्यवसाय: अन्य



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

ने की। प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निश्चित अंगुठे नियमानुसार लिए
गए हैं।
टिप्पणी:



प्र० ब्रह्म प्रकाश ०
उप निबंधक : सदर चतुर्थ
आगरा
17/10/2024

०००
निबंधक लिपिक आगरा
17/10/2024



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

GM 285550

-27-

गये निर्देशों के अनुसार उनकी संतुष्टि पर प्रवीन कुमार रावत एडवोकेट ने तैयार किया और दोनों पक्षों ने पढ़कर व सुनकर निष्पादित व हस्ताक्षरित किया है।

प्रवीन कुमार रावत

[Signature]



गवाह-1 विनोद कुमार पुत्र रघुवीर सिंह नि० 8/153 ई-10 न्यू लॉयर्स कालोनी, आगरा। मो० नं० 7895495945

[Signature]

[Signature]

गवाह-2 रवि बघेल पुत्र श्री नन्द किशोर नि० 17/166 टीला माईथान, आगरा मो० नं० 8535056934

रवि बघेल



100
25

यह स्टाम्प धनराशि रु. 445800
नं० 1 में शामिल है!

आवेदन सं०: 202400766065226

M. ESH KUMAR

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 7361 के पृष्ठ 145 से 200 तक क्रमांक
9416 पर दिनांक 17/10/2024 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर



प्र० ब्रह्म प्रकाश ०
उप निबंधक : सदर चतुर्थ
आगरा
17/10/2024

प्रिंट करे

